


उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-7-
संख्या-2272/नौ-7-17-22ज/2017
लखनऊ : दिनांक : 13 मई, 2017

अधिसूचना

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन 1959) की धारा-8 कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निर्देश देते हैं कि सरकारी अधिसूचना संख्या-1820(1)/नौ-7-17-22ज0/2017, दिनांक 11 मई, 2017 में इस रूप में घोषित नगर निगम, अयोध्या उसके नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति और धारा-5 के खण्ड (ड.) के अधीन स्थापित अन्य समितियों की और नगर आयुक्त की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य जिला-मजिस्ट्रेट, फैजाबाद में निहित हो जायेगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, अनुपालन और निर्वहन किया जायेगा और उसे इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उक्त नगर निगम के प्रशासक के रूप में जाना जायेगा।


कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

संख्या-2272(1)/नौ-7-17-22ज0/2017तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड ख में दिनांक/13 मई, 2017 को प्रकाशित करने एवं मुद्रित अधिसूचना की 150 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(डा0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-2272(2)/नौ-7-17-22ज0/2017तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व पंचायती राज, ग्राम्य विकास, वित्त, गृह, नियुक्ति, आवास एवं शहरी नियोजन, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- सचिव, राज्य वित्त आयोग, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- 4- जिलाधिकारी, फैजाबाद/प्रशासक, नगर निगम, अयोध्या।
- 5- राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(डा0 अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।